

राजस्थान - सरकार
शिक्षा - विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:एफ.1()स्था/आकाशि/20/ 332

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

आदेश

जिन महिला अधिकारियों/सहायक/सह आचार्यों/कर्मचारियों (RES/RVRES) को आज दिनांक तक विभिन्न आदेशों से चाइल्ड केयर लीव (CCL) स्वीकृत की गई, को विधान सभा सत्र के संचालित होने तथा विश्वविद्यालय परीक्षा के सुगम संचालन को दृष्टिगत तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाती है।

जिन महिला अधिकारियों/सहायक/सह आचार्यों/कर्मचारियों (RES/RVRES) को चाइल्ड केयर लीव (CCL) स्वीकृत की गई है को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी तत्काल अपने पदस्थापन स्थल पर कार्यग्रहण करें


(प्रदीप कुमार बोसड) 13/2

आयुक्त


कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक:एफ.1()स्था/आकाशि/20/ 332

दिनांक: 13 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा ।
4. संयुक्त निदेशक (HRD)/(RVRES), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
6. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
7. बेबसाइट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. रक्षित पत्रावली



13.2.2020

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर